

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक  
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.3.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रमोद प्रसाद पिता-विशुनदेव प्रसाद ग्राम-बलीया बीगहा पो०-बरान्दी थाना-रहुई जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	शहीदा खातुन पिता-स्व. मो० जीयाउल्लह ग्राम-पूरवारी रौजा पो०-छपरा थाना-नगर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	मो० मुमताज पिता-मो० युनुस ग्राम-पो०+थाना-बीहटा जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
4	मास्टर अजीत कुमार पिता-ब्रहमदेव पासवान ग्राम-पो०-साइन थाना-बेलसर ओ.पी जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
5	पुष्पा कुमारी पति-नीरज कुमार सिंह ग्राम+पो०-बसंतपुर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।

21/4/16  
21/4/16

6	बेबी रागीनी कुमारी पिता-संजीव कुमार शर्मा ग्राम-श्याम नगर पो0+थाना+जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार ) स्वीकृत।
7	मो0 मुर्तुजा अली पिता-स्व. मो0 अमीन ग्राम-पो0-तेतरीया थाना-राजेपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
8	रामाशंकर प्रसाद पिता-स्व. सुखी प्रसाद ग्राम-पो0+थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 85,000/- ( पचासी हजार ) स्वीकृत।
9	श्यामकर कश्यप पिता-कृष्णा नन्द झा ग्राम-दुर्गापुर गौशाला पो0-न्यु जुट मिल्स थाना-नगर जिला-कटिहार	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
10	मास्टर किशन भट्ट पिता-दुर्गेश नारायण मोहल्ला-खजांची रोड पो0-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
11	मुकेश मिश्र पिता-सत्य नारायण मिश्र ग्राम-तौफीर गढ़ीया पो0-गढ़ीया थाना-चौथम जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
12	राजेश ठाकुर पिता-कन्हैया ठाकुर ग्राम-पो0-पचोखर थाना-आन्दर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
13	रजैला देवी पति-सहीन्दर सहनी ग्राम-अबाबकरपुर पो0-फुलार, थाना-महुआ जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
14	मदन प्रसाद श्रीवास्तव पिता-स्व. रीपु सुदन प्र0 श्रीवास्तव ग्राम-मैनपुरा, पो0-नेउरा थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

31/11/2011  
31/11/2011

15	द्रौपदी देवी पति-सोने लाल दास ग्राम+पो0-अझौर थाना-नीमाचन्द्रपुरा जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 14,40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,40,000/- ( चौदह लाख चालीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509281 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509281 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 01-4-16

ज्ञापांक - 479 (14)  
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.4.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
आस्था लोक हॉस्पिटल,  
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय  
कंकड़बाग, पटना 20


पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.3.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चुमचुम कुमारी पति-अजय कुमार शर्मा ग्राम-उचीटा पो०+थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद	हीमोप्टाइटीस रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	अब्दुल कैयुम पिता-इसहाक अली ग्राम-इमली टोला पो०-सहजा थाना-मनसाही जिला-कटिहार	पेट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509280 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।



3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...509280...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 476 (14)

पटना, दिनांक - 01-4-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.4.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट हौस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.3.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रेणु कुमारी पति-राजदीप कुमार ग्राम-मनीया पो०-सुगमा थाना-सलखुआ जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
2	रिंकु कुमार रजक पिता-राजवंशी रजक ग्राम-सलेमपुर अहरा हजाम टोली, पो०-कदमकुंआ थाना-गांधी मैदान जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
3	मीना देवी पति-प्रमोद साह ग्राम-पो०-बरनौसा थाना-सीलाव जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
4	राजेन्द्र तांती पिता-बैजु तांती ग्राम-उतरा पो०-भेड़ीया, थाना-चण्डी जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
5	जहाँना खातुन पति-इस्लाम मियां ग्राम-पो०-खजुरीया थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।

31/1/15  
31/1/15

6	जितेन्द्र कुमार पिता-जगदीश शर्मा ग्राम-मीयन बीगहा पो-नीनी थाना-शेखोपुर सराय जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
7	अशोक झा पिता-स्व० जय बल्लभ झा थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
			कुल रू० 5,75,000 /

2. उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 5,75,000 /-( पांच लाख पचहतर हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509284 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक पटना, दिनांक  
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509284 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।  
ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 484 (14)

पटना, दिनांक 01-4-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16